न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 287/2021

जयसिंह मील पुत्र स्व0 श्री गणपत सिंह मील, शिव मंदिर सिनेमा के सामने, जे0एम0 बजाज एजेन्सी के पीछे, फतेहपुर रोड, सीकर (राज0) 332001

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 19.01.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 23.12.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 287/2021 पर दिनांक 27.12.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/4102–03 दिनांक 27.12.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई/2021/82 दिनांक 18.01.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी जयसिंह मील पुत्र स्व0 गणपत सिंह मील का प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी उपवन सरंक्षक, झुंझुनूं से इस कार्यालय मे दिनांक 28.10.2021 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना के क्रम मे प्रार्थी को पत्रांक 67 दिनांक 18.11.2021 के द्वारा सूचना की प्रवृत्ति स्पष्ट नही होने के कारण वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु कार्यालय मे पत्रावलियों का अवलोकन करने हेतु सूचित किया गया। इस संबंध मे कार्यालय मे प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का सम्पर्क नही किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं पत्रांक आरटीआई/2021/82 दिनांक 18.01.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी जयसिंह मील पुत्र स्व0 गणपत सिंह मील का प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी उपवन सरंक्षक, झुंझुनूं से उनके कार्यालय मे दिनांक 28.10.2021 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना के क्रम मे प्रार्थी को पत्रांक 67 दिनांक 18.11.2021 के द्वारा सूचना की प्रवृत्ति स्पष्ट नही होने के कारण वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु कार्यालय मे पत्रावलियों का अवलोकन करने हेतु सूचित किया गया। इस संबंध मे कार्यालय मे प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का सम्पर्क नही किया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 19.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं